ISSN 2395-051X

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

डॉ. एम. एम. चौकसे
प्राध्यापक वाणिज्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर, उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा गांव की ओर से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन रोकने हेतु केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 2005 में इस योजना की शुरूआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण सेल में रोजगार प्रदान करना है। केन्द्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रामीण संपर्क मार्ग, भूमि विकास, लघु सिचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण जैसे कार्य किये जाते है। इस योजना में रोजगार प्रथम आओ प्रथम पाओ सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। इस योजना का व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाता है। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने तथा महिला सशक्तीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। योजना ने पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एव जनजाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। योजना में, भ्रष्टाचार, समय पर मजदूरी न मिलने, पर्याप्त बजट का अभाव, तथा दरों में भिन्नता जैसी अनेक कमियां हैं। ई पेमेन्ट व्यवस्था के बाद भी पर्याप्त सुधार नहीं हो पा रहा है। सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। मनरेगा योजना ने समाजिक न्याय की अवधारणा को वल प्रदान किया है, यह योजना असफल न हो जाये, इसके लिये मजबूत निगरानी तंत्र, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति , सही समय पर उचित भुगतान तथा पर्याप्त वजट आबंटन जैसी बातों का सुदृीकरण करना अनिवार्य है।

मुख्य शब्द - ग्रामीण, रोजगार, समाजिक कल्याण, मनरेगा, ई पेमेन्ट।

भारत के गाँवों के वारे में गांधी जी ने कई बातें कही हैं। जैसे- पहली ''भारत उसके शहरों में नहीं उसके गांवों में वसता है'' दूसरी ''अगर गाँव को नुकसान पहुँचता है तो भारत को भी नुकसान होगा''। तीसरा'' भारत उसके कुछ शहरों में नहीं मिलेगा वल्कि मिलेगा इसके सात लाख गाँवों में। क्या हमने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि गांव में रहने वाले लोग अपना तन ढक पाते है या नही, इन लोगों को खाना पर्याप्त मिलता है या नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है। अर्थात हमारी आबादी का बड़ा भाग अभी भी गाँवों में निवास करता है, इसीलिये ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध हो सके जिससे लोगों को गाँव के बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा गाँव की ओर से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकने के लिये केन्द्र सरकार ने मनरेगा योजना की शुरूआत अक्टूबर 2005 से की थी । इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्राम विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करना है।

मनरेगा का पूरा नाम "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" है। पूर्व में इस योजना को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना "नरेगा"के नाम से जाना जाता था 2 अक्टूबर 2009 में इस योजना का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कर, दिया है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। केन्द्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी है।

मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य - इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्य कराये जाते है जिसमें से प्रमुख कार्य इस प्रकार से है।

- जल संरक्षण।
- सूखे की रोकथाम।
- बाढ़ नियंत्रण।
- भूमि विकास।
- विभिन्न तरह के आवास निर्माण।
- लघु सिंचाई।
- बागवानी।
- ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण।
- कोई भी ऐसा कार्य जिसे केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करें।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की विशेषतायें:-

- रोजगार की उपलब्धता प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिंद्धात पर आधारित है।
- रोजगार प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रख जाता है कि रोजगार आवेदक के निवास के 5 कि.मी. की परिधि में हो।
- महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देते हुए आवेदकों में एक तिहाई महिलाओं को लाभान्वित कराने हेतु योजना में प्रावधान है।
- निःशक्तजनो अपंग, बुर्जुग व्यक्ति यदि आवेदन करते है तो उन्हें उनकी योग्यता व दक्षता के अनुसार काम दिया जाता है।
- काम के दौरान चोट लगने पर बिना पैसे इलाज किया जाता है और अपंग व मृत्यु होने पर मुआवजे का प्रावधान है।

- योजना में पारदर्शिता व आमजन की भागीदारी बढ़ाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था है।
- योजना के क्रियान्वन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित है।
- महिला एवं पुरूषों में मजदूरी भुगतान में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा पाक्षिक आधार पर किया जाता है।
- पंचायती राज्य संस्थाओं को मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों में नियोजन कार्यान्वयन, और निगरानी के उत्तरदायी बनाया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिये परिवार पात्र होगा। 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जाता है। मनरेगा के तहत आर्थिक बोझ केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है इस कार्यक्रम के तहत कुल तीन क्षेत्रों पर धन व्यय किया जाता है।

1. अर्द्धकुशल, अकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी।
2. आवश्यक सामग्री।
3. प्रशासनिक लागत।

केन्द्र सरकार अकुशल श्रम की लागत 100 प्रतिशत, अर्द्धकुशल और कुशल श्रम की की लागत की 75 प्रतिशत, सामग्री लागत का 75 प्रतिशत, तथा प्रशासनिक लागत का 6 प्रतिशत वहन करती है वहीं शेष लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

काम पाने की प्रक्रिया - पंजीकृत परिवार के समस्त व्यस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने आवेदन प्रस्तुत करते है। 100 दिवस की सीमा के अंतर्गत प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस हेतु -

1. परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।
2. स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार का पंजीयन होना आवश्यक है।
3. ग्राम पंचायत से परिवार को जॉब कार्ड प्राप्त करना होगा।
4. जॉब कार्ड ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किया जाता है यह पाँच साल के लिये वैध होगा जॉब कार्ड के आधार पर अकुशल मानव श्रम करने हेतु आवेदन देना होगा।
5. अकुशल मानव श्रम करने के लिये तत्पर हो।

मनरेगा योजना के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को प्राप्त होने वाली दैनिक मजदूरी को तालिका क्रं. 1 में दर्शाया गया है -

राज्यवार अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी

क्र.	राज्य	प्रतिदिन मजदूरी रूपयों में	क्र.	राज्य	प्रतिदिन मजदूरी रूपयों में
1	आंध्रप्रदेश	237.00	19	मिजोरम	225.00
2	अरूणाचल प्रदेश	205.00	20	नागालैंड	205.00
3	असम	213.00	21	ओडिशा	207.00
4	बिहार	194.00	22	पंजाब	263.00
5	छत्तीसगढ़	190.00	23	राजस्थान	220.00
6	गोवा	280.00	24	सिक्किम	205.00
7	गुजरात	224.00	25	तमिलनाडू	256.00
8	हरियाणा	309.00	26	तेलंगाना	237.00
9	हिमाचाल प्रदेश	गैर अनु. जाति क्षेत्र 198.00 जनजाति क्षेत्र 248.00	27	त्रिपुरा	205.00
10	जम्मू कश्मीर	204.00	28	उत्तरप्रदेश	201.00
11	लद्दाख	204.00	29	उत्तराखंड	201.00
12	झारखड	194.00	30	पश्चिमी बंगाल	204.00
13	कर्नाटक	275.00	31	अंडमान निकोबार	जिला अंडमान 267.00 जिला निकोबार 282.00
14	केरल	291.00	32	दादर नागर हवेली	258.00
15	मध्यप्रदेश	190.00	33	दमण और द्वीप	227.00
16	महाराष्ट्र	238.00	34	लक्षद्वीप	266.00
17	मणिपुर	238.00	35	पांडिचेरी	256.00
18	मेघालय	203.00			

स्त्रोत्र – ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार प्रतिवेदन 2020

तालिका क्रमांक 2

मनरेगा योजना का विभिन्न वर्षों में प्रगति विवरण

	बर्ष 2016–17	बर्ष 2017–18	बर्ष 2018–19	बर्ष 2019–20
स्वीकृत श्रम बजट करोड़ रूपये में	220.92	231.31	256.56	276.76
उत्पन्न श्रम दिवस करोड़ में	235.64	233.74	267.96	265.34
श्रम दिवस का स्वीकृत बजट से प्रतिशत	106.64	101.05	104.44	95.87
अनुसूचित जनजाति श्रम दिवस का कुल श्रम दिवस में प्रतिशत	17.9	18.32	17.42	17.49
अनुसूचित जाति श्रम दिवस का कुल श्रम दिवस में प्रतिशत	21.32	21.56	20.77	19.79
महिला श्रम दिवसों का कुल श्रम दिवस में प्रतिशत	56.16	53.53	54.09	54.7
रोजगार के औसत दिवस परिवार समुदाय को प्रदाय	46.0	45.69	50.88	48.39
औसत मजदूरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन(रू)	161.65	169.44	179.13	182.09
घरेलू परिवारों की संख्या जिन्होंने 100 दिवस का रोजगार प्राप्त किया	6.56	40.64	52.59	29.55
व्यक्तियों न कार्य किया (करोड़ में)	7.99	7.89	7.77	7.59
दिव्यांग व्यक्तियों ने कार्य किया (लाख में)	4.71	4.72	4.61	4.61

स्त्रोत्र – ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार वार्षिक रिर्पोट 2020

मनरेगा की उपलब्धियाँ -

- मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है।जिसने ग्रामीण श्रम में सकारात्मक बदलाव किया है प्रारंभ के दस वर्षों में कुल 3.41 लाख करोड़ खर्च किये गये वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा का कुल 280.72 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया। कोविड - 19 के दुष्प्रभाव को कम करने हेतु केन्द्र सरकार ने 40000 करोड़ रूपये अतिरिक्त बजट आवंटन किया।
- इस कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबी को कम करने का उल्लेखनीय कार्य किया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन को भी रोकने में मदद की है।
- आजीविका और सामजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण गरीव महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है घरेलू परिवार जिन्हें मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिला उन परिवारों की संख्या वर्ष 2016 -17 में 51224 परिवार थी यह संख्या बढ़कर 2019-20 में 5.62 लाख हो गई।
- मनरेगा योजना में वर्ष 2013-14 में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7.95 करोड़ 2018-19 में 7.77 करोड़ 2019-20 में 7.89 करोड़ तथा 2020 में 7.99 करोड़ हो गई।
- मनरेगा योजना में 2017-18 के वाद 18 से 30 वर्ग के श्रमिकों की सख्या में बढोतरी हुई है।
- मनरेगा ने आजीविका के अवसरों के सृजन में अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान में मदद की है। विश्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की ऐसी योजना अन्य किसी देश में नहीं है।

मनरेगा की कमियाँ -

- अपर्याप्त वजट - केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा के लिए जो बजट आबंटित किया जाता है वह अपर्याप्त होता है। वर्ष 2016-17 में 220.92 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था 2020-21 में यह बजट 280.72 करोड़ का है इस प्रकार पिछले 5 वर्षों में महज 60 करोड़ की वृद्धि की गई जो कि उपर्याप्त है।
- श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में देरी होती है जो राशि स्वीकृत की जाती है उसमें से केवल 22: राशि ही समय पर भुगतान हो पाती है
- केन्द्र सरकार द्वारा जो मजदूरी की दरें तय की गई है वह न्यून्तम मजदूरी से काफी कम है या बाजार दर से भी कम है, उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य में 201 रूपये की दर निर्धारित है जबकि बाजार में यह दर प्रतिदिन 250 रूपये के करीव है।
- इस योजना में भष्टाचार एक वड़ी चुनौती है कई राज्य सरकारों ने ई पेमेन्ट की व्यवस्था की है फिर भी आबंटित धन का अधिकतर हिस्सा मध्यस्थों के पास चला जाता है।

मनरेगा योजना में सुधार हेतु संभावित उपाय -

- राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिये कि देश के हर गाँव में सार्वजनिक काम शुरू हो स्थानीय लोगों को कार्य में प्राथमिकता मिले तथा परिश्रमिक बिना देरी का भुगतान हो।
- स्थानीय निकायों को प्रवासी श्रमिकों को खोज करनी चाहिये। श्रमिकों को जॉब कार्ड प्राप्त करने उनकी सहायता करना चाहिये।

- सरकार को सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये तथा सरकारी क्षेत्र के भ्रष्टाचार पर सतत् निगरानी रखनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम-पंचायत को कार्य स्वीकृत, भुगतान की उचित व्यवस्था हेतु पर्याप्त साधन तथा शक्तियाँ प्रदान करना चाहिये।
- मनरेगा को सरकार की अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिये जैसे ग्रीन इंडिया स्वच्छ भारत, अभियान आदि।
- मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

मनरेगा ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को बल प्रदान किया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना असफल न हो जाये इसके लिये मजबूत निगरानी क्षेत्र, ग्रामीणों में अधिक जागरूकता, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और उचित क्रियान्वयन समय की माँग है। तभी इस महाअभियान को अपने उद्देश्य में सफलता मिल सकेगी तथा सही मायने में ग्रामीण रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

संदर्भ :-

1. nerga.nic.in
2. wikipedia.com
3. Drishtiias.com
4. The Hindu news peper
5. The indian Expres
6. Kaiseinhindi.com
7. दैनिक भास्कर समाचार पत्र
8. भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिर्पोट

❖ ❖ ❖